

गीता लाल वर्मा
 16/2023
 जायू

क्र. सं. दिनांक आज्ञा या कार्यवाही आज्ञा विस्तृत रूप से

स्थापना

प्राथमिकी पेश की। बाकी व उनके नामों पर
 उपस्थित नहीं बरदा होना बाकी व उनके
 उपस्थितता को बाहर - बाहर गवाज
 पानक गडि उकरी की से नोटिफी उपस्थित
 वही होना ही वही इस नमालय
 बाकिर निर्णय 19/1/2023 की पाठना के
 एक रस्मिय चोखि जारी होने के बाद
 पानी ही मतलब वही का बाहर 09/1/23
 CP में खरिज किया जाया है प्राथमिकी
 केवल मुमकिन चीज होने से नकद
 बाक प्राथमिकी खरिज हुआ है

उपखण्ड अधिकारी
 जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

